यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई., सिंचाई खंड, बैजरो (पौड़ी), मुख्यालय – सतपुली** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई., सिंचाई खंड, बैजरो (पौड़ी), मुख्यालय – सतपुली** के माह **अप्रैल 2018 से नवम्बर 2020** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रवीण कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री प्रवीर घोष, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री पंकज कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 22.12.2020 से 31.12.2020 तक श्री एस. के. त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

(i) **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा माह 06/2015 से माह 03/2018 तक की लेखापरीक्षा श्री एस. एस. राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री देवेंद्र दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री पवन कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा श्री आई. के. जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में दिनांक 31.05.2018 से 07.06.2018 तक की गयी थी।

(ii) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार:**

अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई., सिंचाई खंड, बैजरो (पौड़ी), मुख्यालय – सतपुली के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पी.एम.जी.एस.वाई. योजना के अनुरूप 250 से अधिक जनसख्या वाले असंयोजित बसावटों के संयोजन हेतु कोर नेटवर्क के अनुरूप प्रस्ताव प्रेषित कर Uttarakhand Rural Road Development Agency (URRDA), देहरादून की स्वीकृति के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण से संबन्धित समस्त कार्य संपादित किए जाते हैं। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र जनपद पौड़ी गढ़वाल के तीन विकास खंडों क्रमशः बीरोंखाल, थलीसैंण एवं नैनीडांडा है, जिनमें ग्रामीण मोटर मार्गों का निर्माण एवं अनुरक्षण किया जाता है।

(iii) बजट

(अ) लेखा परीक्षा अवधि में योजनावार बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (-) बचत (+)	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	स्थापना	गैर स्थापना
2017-18	-	-	1086.12	985.06	120.76	117.71	101.06	3.05
2018-19	-	-	139.70	130.76	67.00	53.00	8.94	14.00
2019-20	-	-	16.04	12.84	62.39	52.15	3.2	10.24
2020-21 (11/2020 तक)	-	-	3.66	2.13	69.00	20.59	-	-

(iv) इकाई को बजट आवंटन केंद्र एव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "**B**" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड

⬇

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

⇩

मुख्य अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

⬇

मुख्य अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई., (गढ़वाल)

⬇

अधीक्षण अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई. वृत्त श्रीनगर, लो.नि.वि., पौड़ी

⬇

अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई., सिंचाई खंड, बैजरो (पौड़ी), मुख्यालय – सतपुली

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई., सिंचाई खंड, बैजरो (पौड़ी), मुख्यालय – सतपुली को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई., सिंचाई खंड, बैजरो (पौड़ी), मुख्यालय – सतपुली की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखापरीक्षा द्वारा व्यय विवरण के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह **मार्च 2019 एवं अक्टूबर 2020** को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण एवं आधिक्य व्यय के आधार पर सिसई-थापला मोटर मार्ग स्तर-I&II को विस्तृत विश्लेषण हेतु चयनित किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में कोई निरीक्षण निरीक्षण नहीं किया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी नहीं की गयी थी।

4. फार्म 51:

भाग प्रथम } शून्य
भाग द्वितीय

5. खण्ड के माह 11/2020 के उचन्त लेखों के अवशेष

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम
(ख) सामग्री क्रय
(ग) नगद परिशोधन } शून्य
(घ) निक्षेप
(ङ) भण्डार

भाग-II (ब)

प्रस्तर – 1: अनियमित व्यय ₹ 1143.28 लाख

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग 6 के प्रस्तर संख्या 318 एवं उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियम, 2017 की धारा 39 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व प्राविधिक स्वीकृति (Technical Sanction) लेना अनिवार्य होगा।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, पी.एम.जी.एस.वाई. बैजरो (पौड़ी), मुख्यालय-सतपुली के लेखा अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि अनुबंध संख्या 53/UT-08-61(I&II), UT-08-86(II) तथा UT-08-70(II)/XVI(URRDA)/18 दिनांक 04.10.2018 के अनुसार क्रमशः सिसई – थापला मोटरमार्ग स्टेज I & II, सिमरी - कंडोली बड़ी मोटरमार्ग स्टेज II तथा सिमरी कांडा मल्ला मोटरमार्ग स्टेज II के कार्य को पूर्ण करने के लिए मै. एम. एन. आर. कंस्ट्रक्शन के साथ अनुबंध किया गया था। कार्य के प्रारंभ करने की तिथि 09.10.2018 तथा कार्य पूर्ण करने की तिथि 08.10.2019 निर्धारित की गयी थी। उपरोक्त कार्य को पूर्ण करने के लिए ₹ 1143.28 लाख का अनुबंध किया गया था। उक्त तीनों कार्यों के लिए प्राविधिक स्वीकृति लेखापरीक्षा तिथि (दिसंबर 2020) तक प्राप्त नहीं हुयी थी। इस प्रकार कार्यालय द्वारा बिना प्राविधिक स्वीकृति के ही ₹ 1143.28 लाख का अनियमित व्यय कर दिया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि प्राविधिक स्वीकृति के लिए कार्यालय द्वारा मुख्य अभियंता, पी.एम.जी.एस.वाई., गढ़वाल क्षेत्र, इंदिरा नगर, देहरादून को पत्र प्रेषित किया गया है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए था।

प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर – 2 : अनुबंध की शर्त के विपरीत कार्यो का बीमा ना किया जाना।

अनुबंध की शर्तों (Standard Bidding Document के प्रस्तर संख्या 13.1) के अनुसार ठेकेदार कार्य प्रारम्भ करने से लेकर समापन तक काम के नुकसान या क्षति, व्यक्तिगत चोटें और मशीनरी एवं उपकरण के लिए नियोक्ता तथा ठेकेदार के संयुक्त नाम से अपनी लागत पर बीमा कवर करेगा। यदि ठेकेदार बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने में विफल होता है तो ठेकेदार के देयकों से (i) अनुबंधित धनराशि का 0.50 प्रतिशत कार्यों, plant एवं सामग्री, (ii) अनुबंधित धनराशि का 0.25 प्रतिशत उपकरण के नुकसान या क्षति एवं (iii) अनुबंधित धनराशि का 0.25 प्रतिशत अन्य परिसम्पत्तियों हेतु कटौती की जानी चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, पी.एम.जी.एस.वाई. बैजरो (पौड़ी), मुख्यालय-सतपुली के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि कार्यालय द्वारा संलग्न सूची के अनुसार ठेकेदार द्वारा कार्य के सापेक्ष न तो बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराई गई एवं न ही कार्यालय द्वारा अनुबंध के अनुरूप 1% की धनराशि देयकों से कटौती की गई। संलग्न सूची के 24 कार्यों की अनुबंधित धनराशि के सापेक्ष 1% बीमा पॉलिसी की धनराशि ₹ 91.98 लाख की कटौती नहीं की गई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर – 3 : LD के रूप में धनराशि ₹ 104.63 लाख की लंबित कटौती/वसूली

स्टैंडर्ड बिडींग डॉक्यूमेंट फॉर पी.एम.जी.एस.वाई. (Standard Bidding Document for PMGSY) के Clause 20 एवं 44.1 में स्पष्ट उल्लेख था कि यदि संबंधित ठेकेदार संविदा की समय सीमा के अंतर्गत योजना पूर्ण करने में असफल रहता है तो ठेकेदार के बिलों से LD (Liquidated Damages) के रूप में Initial Contract Price के अधिकतम 10% सीमा तक प्रति सप्ताह 1% की दर से क्षतिपूर्ति/LD की कटौती इकाई द्वारा की जानी थी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, पी.एम.जी.एस.वाई बैजरो (पौड़ी), मुख्यालय-सतपुली के अभिलेखों की जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि अधोलिखित योजनाओं के प्रकरण में निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत योजनाओं का निष्पादन ना किए जाने के बावजूद संबंधित ठेकेदारों से उक्त संदर्भित Clause के अंतर्गत Liquidated Damages के रूप में बिलों से कोई कटौती नहीं की गई थी। योजनाओं का विवरण निम्नवत है:

क्र.सं.	योजनाओं का नाम	ठेकेदार फ़र्म का नाम व संदर्भ	अनुबंध राशि (₹ लाख में)	कार्य समापन तिथि	कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	क्षतिपूर्ति की राशि (अनुबंध राशिxदरxसप्ताह/100)
1	थलीसैण में ब्यासी से कनैथ मोटरमार्ग स्टेज-I	मै. आर. बी. कंसट्रक्संस, दे.दून 072/2017-18	241.16	07.05.2019	कार्य अपूर्ण है। दिनांक 03.03.2020 तक 0.25% LD के साथ समय वृद्धि	241.16x1x32/100 = 77.17 लाख (अधिकतम सीमा ₹ 24.12 लाख तक)
2	सिसई थपला मोटरमार्ग स्टेज I एवं II	मै. एम. एन. आर. कंसट्रक्संस, 53/2018-19	545.11	08.10.2019	31.03.2020	545.11x1x20/100 = 109.02 लाख (अधिकतम सीमा ₹ 54.61 लाख तक)
3	सिमड़ी कोंडाली बड़ी मोटरमार्ग स्टेज II	मै. एम. एन. आर. कंसट्रक्संस, 53/2018-19	254.00	08.10.2019	31.03.2020	254.00x1x20/100 = 50.80 लाख (अधिकतम सीमा 25.40 लाख तक)

उक्त के अतिरिक्त, थलीसैण में ब्यासी से कनैथ मोटरमार्ग स्टेज-I के प्रकरण में मुख्य अभियंता, उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, (यू.आर.आर.डी.ए.) द्वारा निर्माण कार्य में 03 मार्च 2020 तक की समय वृद्धि 0.25% (₹ 0.60 लाख) की क्षतिपूर्ति/LD के साथ प्रदान की गई थी जिसकी कटौती भी संप्रेक्षण तिथि तक लंबित थी।

उपरोक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि ठेकेदार के आगामी देयकों से LD की कटौती कर ली जाएगी एवं जांच उपरांत उचित कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर संप्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि समयवृद्धि के अभाव में अनुबंध के अनुरूप ठेकेदार से क्षतिपूर्ति/LD की कटौती की जानी चाहिए थी।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर – 4 : ` 1.19 लाख के वाउचर लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाना

कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, पी.एम.जी.एस.वाई. बैन्जरो (पौड़ी), मुख्यालय-सतपुली के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में चयनित माह मार्च 2019 के निम्नलिखित वाउचर लेखापरीक्षा को जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए:

क्रं सं	वाउचर सं	दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंध संख्या /	Fund	Cheque No.	धनराशि (₹ में)
1	08	28.03.19	M/s RB Construction.	75/SE PMGSY/2014-15	Maintenance Fund	493329	47040.00
2	01	05.03.19	Nayyar Ghati Service Station	Purchase of Diesel	Admin Fund	441257	33580.00
3	03	25.03.19	Nayyar Ghati Service Station	Purchase of Diesel	Admin Fund	441259	23191.00
4	08	31.03.19	Nayyar Ghati Service Station	Purchase of Diesel	Admin Fund	441265	15000.00
						योग	**118811.00**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि समस्त वाउचर आगामी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कर दिये जाएंगे।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर का विवरण	
		भाग –II (अ)	भाग –II (ब)
1	160/2015-16	1	1,2
2	23/2018-19	1	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..............................शून्य....................................

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई., सिंचाई खंड, बैजरो (पौड़ी), मुख्यालय – सतपुली** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

क्रं सं	**वाउचर सं**	**दिनांक**
1	08	28.03.19
2	01	05.03.19
3	03	25.03.19
4	08	31.03.19

2. सतत् अनियमितताएः शून्य

3. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	**श्री महेंद्र सिंह यादव**	**अधिशासी अभियंता**	**विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक**

4. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे:

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई., सिंचाई खंड, बैजरो (पौड़ी), मुख्यालय – सतपुली** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार, आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195** को प्रेषित किया जाए।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी.-II (Non-PSU)